भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)-I/2026/TR/15 (E-File: 3537162) **New Delhi, dated 22.07.2026**

The General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs
(As per standard mailing list)

Sub: Transfer Policy for prioritizing own request transfer of non-gazetted railway employees having more than 20 years of regular service.

Ref: (i) Para 312 of IREM Vol. I.
(ii) Railway Board's letter No. E(NG)I-85/SR6/14 dated 21.01.1986 (RBE No. 16/1986).
(iii) Railway Board's letter No. E(NG)I-99/TR/15 dated 08.02.2000 (RBE No. 24/2000).
(iv) Railway Board's letter No. E(NG)I-2019/TR/10 dated 17.08.2023 (Master Circular No. 24).

Instructions regarding own request transfers of non-gazetted employees have been issued from time to time by Railway Board. As per the current procedure, transfer requests of employees are registered as per their category, with priority being assigned based on the date of submission of applications. Applications are then forwarded in order of priority based on the vacancy position in the Relieving Unit. On receipt of No Objection Certificate from the Accepting Unit, transfer order of the applicant is issued by the Relieving Unit. It is seen that there are certain employees across all the zones of Indian Railways who have been awaiting transfer on request for a considerable period of time. A number of these employees have already served for a considerable number of years in Indian Railways.

2. It has accordingly been decided to introduce a new category of own request transfers on priority basis of those non-gazetted railway employees with **more than 20 years of regular service.** This would be an employee friendly measure designed to ensure that requests of employees who have served Railways for more than 20 years are processed on priority basis in recognition of their long years of service.

3. The modalities of the new policy for prioritising own request transfers of employees with more than 20 years of regular service are detailed below:

i. The employees seeking transfer shall continue to apply for transfer to the desired zonal railway/division/unit on HRMS portal.

ii. On the first of every month, HRMS shall generate a consolidated priority list of employees with **more than 20 years of regular service** who have sought transfer on own request.

iii. The priority list shall be generated taking the following criteria into consideration:

(a) Category-wise priority lists shall be generated for each Accepting Unit separately.
(b) The priority list for transfer shall be based on the number of years of regular service in descending order.

iv. Once the monthly priority list is generated on HRMS in terms ofPara 3 (ii) and (iii) above, transfer orders strictly in the order of priority, to the extent of vacancies available in the

Accepting Unit shall be automatically issued on HRMS. No NOC from the Accepting Unit shall be required for this purpose.

v. Subsequent to issue of auto-transfer orders on HRMS, the employee will be physically relieved as per the current procedure with the approval of the controlling JAG officer/Branch Officer within 15 days of the issue of the auto-transfer order on HRMS.

vi. Physical relieving of the employee may only be put on hold with the approval of DRM, and only in the following cases:

(a) Employee is not clear from D&AR/Vigilance cases.

(b) Proper handing over of stock sheets, etc. has not taken place. In such cases, even if no reliever has been posted, it would be the responsibility of the Controlling JAG officer / Branch Officer to nominate staff to complete the handing over/taking over formalities. **Under no circumstances should the physical relieving of the staff be delayed beyond one month on this account.**

(c) Employee does not have the prescribed educational qualification required.

(d) Cases of all such employees whose physical relieving has been put on hold will be reviewed every month at the level of DRM. Cases of employees not having the requisite educational qualification shall, however, be rejected and their transfer order issued on HRMS shall be cancelled.

4. Transfers under the new 20 years scheme shall be considered only for change of place and no requests for Change of Category or Department shall be considered under this scheme. Further, no transfers from the open line to Production Units/Workshops shall be considered under the 20 years scheme.

5. Other than the procedure detailed above, extant rules governing own request transfers shall continue to apply to employees covered under the 20 years scheme.

6. The existing procedure, including, *inter alia*, the procedure for registration of applications, maintenance of priority on the basis of the date of registration and requirement of NOC from the Accepting Unit shall continue to apply to employees with **less than 20 years of regular service.**

7. Successful implementation of the 20 years scheme would require readiness of HRMS in all aspects – including having all details of posting, educational qualification and other requisite details. Therefore, the scheme shall become operational w.e.f. two months from the date of issue of this policy circular, enabling the HRMS team as well as the various units of Indian Railways to be in readiness for operationalization of the scheme.

Receipt of these instructions may kindly be acknowledged.

Hindi version will follow.

Sanjay 22/1/26

(Sanjay Kumar)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
Phone – 43658/011-23303658
E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

No. E(NG)-I/2026/TR/15 (E-File: 3537162) **New Delhi, dated 22.07.2026**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. The General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India OBC Railway Employees Federation/Association, Rail Bhawan, New Delhi.

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PS/MoSR(R), MoSR (S), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PSO to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

****

आरबीई सं. 61 /2026

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)-I/2026/टीआर/15(ई-फाइल 3537162) **नई दिल्ली, दिनांक : 22.07.2026**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: 20 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को प्राथमिकता देने संबंधी स्थानांतरण नीति।

संदर्भ: (i) भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 का पैरा 312
(ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.01.1986 का पत्र सं. ई(एनजी)I-85/एसआर6/14 (आरबीई सं. 16/1986)
(iii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 08.02.2000 का पत्र सं. ई(एनजी)I-99/टीआर/15 (आरबीई सं. 24/2000)
(iv) रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.08.2023 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2019/टीआर/10 (मास्टर परिपत्र संख्या 24)

गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के संबंध में समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, कर्मचारियों के स्थानांतरण अनुरोध उनकी श्रेणी और आवेदनों की निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार पंजीकृत किए जाते हैं। इसके बाद कर्मचारी को कार्यमुक्त करने वाली इकाई में रिक्ति की स्थिति के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में आवेदन भेजे जाते हैं। स्वीकृति देने वाली इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, कार्यमुक्त करने वाली इकाई द्वारा आवेदक का स्थानांतरण आदेश जारी किया जाता है। यह देखा गया है कि भारतीय रेल के सभी क्षेत्रीय रेलों में कुछ कर्मचारी हैं जो काफी समय से अनुरोध पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनमें से कई कर्मचारियों ने भारतीय रेल में काफी वर्षों तक सेवा की है।

2. तदनुसार, 20 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा वाले गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वैच्छिक अनुरोध पर स्थानांतरणों की एक नई श्रेणी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह एक कर्मचारी हितैषी उपाय होगा, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि 20 वर्ष से अधिक समय तक रेलवे में सेवा करने वाले कर्मचारियों के अनुरोधों को उनकी लंबी सेवा के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

3. 20 वर्षों से अधिक की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण को प्राथमिकता देने हेतु नई नीति की कार्य-विधि का विवरण नीचे दिया गया है:

i. स्थानांतरण की इच्छा रखने वाले कर्मचारी एचआरएमएस पोर्टल पर वांछित क्षेत्रीय रेल/मंडल/इकाई में स्थानांतरण हेतु आवेदन करना जारी रखेंगे।
ii. प्रत्येक माह की पहली तारीख को, एचआरएमएस उन कर्मचारियों की एक समेकित प्राथमिकता सूची तैयार करेगा, जिनकी **नियमित सेवा 20 वर्षों से अधिक** है और जिन्होंने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण की मांग की है।
iii. प्राथमिकता सूची निम्नलिखित अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

(क) प्रत्येक स्वीकृति इकाई के लिए श्रेणी-वार प्राथमिकता सूचियां अलग-अलग तैयार की जाएंगी।

(ख) स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता सूची नियमित सेवा के वर्षों की संख्या के अवरोही क्रम के आधार पर तैयार की जाएगी।

iv. एचआरएमएस पर उपरोक्त पैरा 3 (ii) और (iii) के अनुसार मासिक प्राथमिकता सूची तैयार होने के पश्चात, स्वीकृति इकाई में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक, प्राथमिकता क्रम में सख्ती से स्थानांतरण आदेश एचआरएमएस पर स्वतः जारी किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए स्वीकृति इकाई से किसी अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

v एचआरएमएस पर स्वचालित स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी/शाखा अधिकारी की स्वीकृति से, कर्मचारी को एचआरएमएस पर स्वचालित स्थानांतरण आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर भौतिक रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।

vi कर्मचारी को भौतिक रूप से कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया को केवल मंडल रेल प्रबंधक की स्वीकृति से और केवल निम्नलिखित मामलों में ही रोका जा सकता है:

(क) कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम/सतर्कता मामले चल रहे हो।

(ख) स्टॉक शीट आदि का उचित हस्तांतरण नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में, भले ही कोई रिलीवर नियुक्त न किया गया हो, हस्तांतरण/प्रभार ग्रहण करने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को नामित करना नियंत्रक कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी/शाखा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। **किसी भी परिस्थिति में इस कारण से कर्मचारियों को भौतिक रूप से कार्यमुक्त करने में एक महीने से अधिक की देरी नहीं की जानी चाहिए।**

(ग) कर्मचारी के पास निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं हो।

(घ) ऐसे सभी कर्मचारियों के मामले, जिनकी भौतिक कार्य मुक्ति रोक दी गई है, की समीक्षा प्रत्येक माह मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर की जाएगी। बहरहाल, जिन कर्मचारियों के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उनके मामलों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और एचआरएमएस पर जारी उनका स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

4. नई 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत स्थानांतरण केवल स्थान परिवर्तन के लिए ही विचाराधीन होंगे और इस योजना के अंतर्गत श्रेणी या विभाग परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 20 वर्षीय योजना के अंतर्गत ओपन लाइन से उत्पादन इकाइयों/वर्कशॉपों में किसी भी स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अलावा, 20 वर्षीय योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों पर स्वयं अनुरोध हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम लागू रहेंगे।

6. मौजूदा प्रक्रिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदनों के पंजीकरण की प्रक्रिया, पंजीकरण की तिथि के आधार पर प्राथमिकता बनाए रखना और स्वीकृति इकाई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता शामिल है, 20 वर्ष से कम की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू रहेगी।

7. 20 वर्षीय योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एचआरएमएस की सभी पहलुओं में तत्परता की आवश्यकता होगी- जिसमें तैनाती, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरणों से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध होना शामिल है। अतः यह योजना इस नीति परिपत्र के जारी होने की तिथि से दो महीने की अवधि के पश्चात् प्रभावी होगी, जिससे एचआरएमएस टीम के साथ-साथ भारतीय रेल की विभिन्न इकाइयाँ भी योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार हो सकें।

कृपया इन निर्देशों की प्राप्ति की पावती दे।

22/7/26

(संजय कुमार)

उपनिदेशक/स्था.(एन)

रेलवे बोर्ड

फोन – 43658/011-23303658

ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in

सं. ई(एनजी)-I/2026/टीआर/15(ई-फाइल 3537162) **नई दिल्ली, दिनांक : 22.07.2026**

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव/कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. सेक्रेटरी जनरल, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप "डी" इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

22.7.2026

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औद्योगिक संबंध.)/रेलवे बोर्ड

****